राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.17(ई)ग्राविवि/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.दिवस/2014/986 जयपुर, दिनांकः 23/03/15

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – समस्त।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति – समस्त।

विषयः पंचायत दिवस कार्यक्रम का द्वितीय चरण आरम्भ करने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 2753 दिनांक 13.05.2014 द्वारा पंचायत दिवस कार्यक्रम समस्त राज्य में प्रारम्भ किया गया था। समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का प्रथम चक्र पूर्ण हो चुका है व इसके अपेक्षित एवं उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण कार्यक्रम का द्वितीय चक्र प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। वर्तमान में नवीन पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो चुका है तथा राज्य में 47 नई पंचायत समितियां एवं 723 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आ चुकी है। अतः समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं संबद्ध अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जारी आदेश में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप समस्त ग्राम पंचायतों (जिनमें नवीन ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित करते हुए) हेतु पंचायत दिवसों के द्वितीय चक्र का कार्यक्रम तैयार करायें।

पंचायत दिवस का द्वितीय चरण 15 अप्रेल, 2015 से प्रारम्भ किया जाना है, अतः तद्नुसार कार्यक्रम तैयार किया जाकर प्रारम्भ किया जाना समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण समय रहते सुनिश्चित करेंगे।

नवगठित पंचायतों हेतु अभी प्रशासनिक व्यय एवं अन्य बजट आवंटन नहीं हुआ है, अतः नवीन गठित ग्राम पंचायतों में पंचायत दिवस का आयोजन करने हेतु आवश्यक न्यूनतम प्रशासनिक व्यय हेतु मूल पंचायत (जिससे प्रमुखतया नवीन ग्राम पंचायतें निर्मित हुई है) एवं संबंधित पंचायत समिति को अधिकृत किया जाता है। विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नव गठित ग्राम पंचायत पर पंचायत दिवस से पूर्व ग्राम पंचायत पर संधारित किये जाने वाले समस्त आवश्यक रजिस्टरर्स/दस्तावेज/पत्रावली आदि उपलब्ध करवा दिये जावे। इस हेतु व्यय ऊपर दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जा सकता है।

द्वितीय चक्र का कार्यक्रम बनाते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण संबंधित जिला कलक्टर से चर्चा कर यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यथा संभव पंचायत दिवस कार्यक्रम एवं जिलों में पूर्व में चल रहे भामाशाह शिविर कार्यक्रमों, योजनाओं की दिनांकों में कोई टकराव की स्थिति न हो। यथा संभव पंचायत दिवस के कार्यक्रम भामाशाह योजना हेतु आयोजित किये जा रहे दिनांकों के

E:\Pa_dsa2\R.S. MAKKER\LETTER.docx

अनुरूप ही किये जाने का प्रयास किया जावे ताकि अधिकारी/कर्मचारीगण एक ही स्थान पर उपस्थित रह कर आवश्यक कार्य निष्पादित कर सकें।

अप्रेल, 2015 से नये वित्तीय वर्ष का प्रारम्भ हो रहा है, अतः विकास योजनाओं में नवीन स्वीकृतियां जारी करने तथा गत वित्तीय वर्ष में हुए कार्यो के यू.सी./सी.सी. जारी करने पर विशेष बल दिया जावे। प्रथम चरण में जिन निर्मित परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था, उन पर विशेष बल देते हुए गत वर्ष में निर्मित नवीन स्थाई परिसम्पत्तियों के शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन को भी सुनिश्चित किया जावे। **पूर्व में जारी परिपत्र के दिशा–निर्देशानुसार ही पंचायत दिवस पर समस्त कार्य सम्पादित करवाये जाने है।**

कार्यक्रम की प्रगति एवं सूचना निर्धारित वेब पोर्टल/ईमेल/ऑनलाईन पूर्व निर्धारित प्रपत्रों में ही दी जावें।

निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
2. माननीय सांसदगण (समस्त)/विधायकगण(समस्त)/जिला प्रमुख(समस्त)/प्रधान(समस्त)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/कृषि विभाग/शिक्षा विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ऊर्जा विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद।
8. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, राजस्थान।
9. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
10. जिला कलक्टर (समस्त)।
11. निदेशक, मिड–डे–मील योजना।
12. समस्त् अधिकारीगण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सी.डी./प्रभारी अधिकारी SFC/ TFC/ UTF/ MLA Led/ MP Led/ DANG/ MAGRA/ BADP/ MEWAT/ Watershed (IR).
14. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त

E:\Pa_dsa2\R.S. MAKKER\LETTER.docx